

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0198 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 05/08/2025 13:07 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 31/10/1996 Date To (दिनांक तक): 17/06/2023

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 12:01 बजे Time To (समय तक): 13:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 05/08/2025 Time (समय): 11:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 05/08/2025 13:07:18 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-EAST, 250 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): 11, FLAT NO.401, CHAUTHI MANJIL, RAJEEV GANDHI NAGAR, KOTA

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): DESHRAJ GURJAR

(b) Father's Name (पिता का नाम): HARGYAN SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 22/01/1982

(d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE JHADISA, TODABHIM, GANGAPUR CITY, गंगापुर सिटी, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VILLAGE JHADISA, TODABHIM, GANGAPUR CITY, गंगापुर सिटी, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MAHESH JANGID		पिता: RAMESHWAR	1. 1/2, PATTI KALI JI KA CHAUK, GRAM LADNU, NAGAU, RAJASTHAN, I

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		71,41,751.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

71,41,751.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 16.06.2023 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा को गोपनीय सूत्र सूचना प्राप्त हुई कि महेश जांगीड, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, क्षेत्र कोटा, आज अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, क्षेत्र कोटा में चल रहे कार्यों के ठेकेदारों से कमीशन की बड़ी मात्रा में अवैध राशि एकत्रित कर गाडी नम्बर- RJ20 UA 9387 Mahindra Xuv 500 से जयपुर जायेगा। उक्त गोपनीय सूत्र सूचना पर कार्यावाही करने हेतु श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया। श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक द्वारा दिनांक 16.06.2023 को समय 7.22 पी.एम. पर गाडी नम्बर- RJ20 UA 9387 Mahindra Xuv 500 को बडगाँव पुलिस चौकी कोटा बून्दी मार्ग पर मय एसीबी टीम एवं स्वतंत्र गवाहान के हाथ का ईशारा देकर रूकवाया जाकर आरोपी महेश जांगीड अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी क्षेत्र कोटा की आकस्मिक चैकिंग की तो आरोपी के कब्जे से एक लाल एवं हरे रंग के केरी बैग में पांच - पांच सौ रुपये के 100-100 नोटों की 15 गड़िया एवं पांच-पांच सौ रुपये के 20 नोट की एक गड़िया, कुल राशि-7,60,000 रुपये तथा एक काले रंग का बैग से एक पीले रंग का लिफाफा में पांच-पांच सौ रुपये के सौ नोट कुल 50,000 रु. कुल राशि 8,10,000/-रुपये बरामद हुये। आरोपी द्वारा उक्त राशि के संबंध में संतोषप्रद जवाब नहीं दिये जाने तथा सूत्र सूचना के मुताबिक राशि संदिग्ध होने से बतौर वजह सबूत जम्मा कर कब्जा एसीबी ली गई। उक्त आकस्मिक चैकिंग के आधार पर आरोपी महेश जांगीड पुत्र श्री रामेश्वर जाति जांगीड उम्र 53 साल निवासी- 1/2 पट्टी, काली जी का चौक ग्राम- लाडनू जिला नागौर हाल अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, क्षेत्र कोटा के विरुद्ध प्रकरण संख्या 157/2023 धारा 13(1)(बी),13(2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) दर्ज किया गया। आरोपी के विरुद्ध आकस्मिक चैकिंग एवं जप्ती की कार्यवाही के बाद दिनांक 17.06.2023 को आरोपी के किराये के फ्लेट 401, प्लॉट नं. 11 राजीव गांधी नगर कोटा की खाना तलाशी श्री पृथ्वीराज पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा देहात ने, दिनांक 22.06.2023 को उसके स्वयं के आवासीय फ्लेट एफ 1 एफ प्रेमपुष्प अपार्टमेंट सोसाईटी शिप्राबिहार, जयपुर की व दिनांक 23.06.2023 को मकान नं. 26 1/2 पट्टी काली जी का चौक गोविन्द भवन के पास लाडनू जिला नागौर स्थित स्वयं के पैतृक आवास के कमरे की खाना तलाशी श्री ताराचन्द्र पुलिस निरीक्षक एसीबी कोटा ने, दिनांक 17.06.2023 को वार्ड नं. 26 आधी पट्टी कालीजी का चौक लाडनू जिला नागौर स्थित मकान की खाना तलाशी श्री महेंद्र कुमार पुलिस निरीक्षक एसीबी चूरू ने एवं दिनांक 31.10.2023 को आरोपी एवं आरोपी की पत्नी के संयुक्त बैंक लॉकर संख्या 258 एसबीआई बैंक, लाडनू, जिला डीडवाना कुचामन की खाना तलाशी श्री देशराज पुलिस निरीक्षक, एसीबी कोटा द्वारा ली गई एवं खाना तलाशियों के संबंध में जांच की गई तो पाया गया कि आरोपी श्री महेश जांगीड, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पीएचईडी कोटा वर्ष 1996 से राजकीय सेवा में कार्यरत है एवं आरोपी की पत्नी वर्ष 2006 से राजकीय सेवा में अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। आरोपी, वक्त घटना कोटा में किराये के फ्लेट 401, प्लॉट नं. 11 राजीव गांधी नगर कोटा, में निवास करता था एवं आरोपी की पत्नी अंजू जांगीड उसके पैतृक मकान नं. 26 1/2 पट्टी काली जी का चौक गोविन्द भवन के पास लाडनू जिला नागौर में निवास कर रही थी। आरोपी के परिवार में आरोपी स्वयं एवं उनकी पत्नी श्रीमती अंजू जांगीड दोनों वेतनभोगी कर्मचारी है। इसके अलावा आरोपी का एक पुत्र ईशान जांगीड व एक पुत्री चारुष्का जांगीड है, जो वर्तमान में पढाई कर रहे है। खाना तलाशी की जांच में बैंक पीरियड दिनांक 31.10.1996 से 17.03.2023 तक की अवधि में आरोपी महेश जांगीड की आय व्यय की गणना प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर की गई जिसके अनुसार आरोपी एवं उसके परिवार के नाम जयपुर में एक फ्लेट, ग्राम खानपुर जिला नागौर में दो भूखण्ड, ग्राम गनौडा जिला चूरू में एक भूखण्ड, एक बलेनो कार, एक मोटर साईकिल सहित बैंक खातों में जमा करीब एक करोड से अधिक की राशि तथा बैंक लॉकर व निवास पर करीब 15 लाख रुपये की कीमत के सोने-चांदी के आभूषण एवं निवास स्थान की खाना तलाशी में मिले सामान की कीमत व मिली नगद राशि मिले है, इस प्रकार आरोपी के पास मौजूदा परिसम्पत्तियों की कीमत 17456841 पाई गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है। 1- फ्लेट नं. 401 राजीव गांधी नगर कोटा (किराये का मकान) में मिले आरोपी के सामान की कीमत -स्वयं 79300 2-फ्लेट नं. 401 राजीव गांधी नगर कोटा में आरोपी के किराये के मकान में मिली नकद राशि -स्वयं 26110 3-आरोपी के स्वयं के नाम फ्लेट संख्या एफ 1 एफ प्रेमपुष्प अपार्टमेंट शिप्राबिहार, गोपालपुरा बाईपास जयपुर में मिले सामान की कीमत 2022 स्वयं 438800 4-आरोपी के स्वयं के नाम फ्लेट संख्या एफ 1

एफ प्रेमपुष्प अपार्टमेन्ट शिप्राबिहार, गोपालपुरा बाईपास जयपुर में मिली नकद राशि स्वयं 12500 5-आरोपी के स्वयं के नाम फ्लेट संख्या एफ 1 एफ प्रेमपुष्प अपार्टमेन्ट शिप्राबिहार, गोपालपुरा बाईपास जयपुर की खरीद पर किया गया खर्च (2498000 खरीद 122702 पंजियन शुल्क) 2022 स्वयं 2620702 6-वार्ड नं 26 काली जी का चौक लाडनू स्थित पैतृक मकान में आरोपी महेश जांगिड के कमरे में मिले स्वयं के सामान की कीमत-स्वयं 165000 7- वार्ड नं 26 काली जी का चौक लाडनू स्थित पैतृक मकान में आरोपी महेश जांगिड के कमरे में मिली नकद राशि स्वयं 46000, 8-अंजू सुथार के नाम रजिस्टर्ड कार बलेनो रजि. संख्या आरजे 37 सीबी 2053 2020 पत्नी 850000, 9-आरोपी महेश जांगिड के नाम रजिस्टर्ड मोटर साईकिल प्लेटिना आरजे 37 एसबी 1710 2008 स्वयं 50000, 10-आरोपी महेश जांगिड के नाम ग्राम खानपुर तहसील लाडनू जिला नागौर में स्थित भूखण्ड की कीमत 580697 (553037 खरीद 27660 पंजियन शुल्क) 2010 स्वयं 580697, 11-श्रीमती अंजू जांगिड के नाम ग्राम खानपुर तहसील लाडनू जिला नागौर में स्थित भूखण्ड की कीमत 571769 (549769 खरीद 22000 पंजियन शुल्क) 2010 पत्नी 571769 12-वार्ड नं 26 काली जी का चौक लाडनू स्थित पैतृक मकान में मिले सोने के आभूषणों की कीमत -स्वयं 100000, 13-वार्ड नं 26 काली जी का चौक लाडनू जिला नागौर स्थित पैतृक मकान में मिले चांदी के आभूषणों की कीमत -स्वयं 3000, 14-एसबीआई बैंक लाडनू जिला नागौर में आरोपी स्वयं एवं उसकी पत्नी श्रीमती अंजू जांगिड के संयुक्त स्वामित्व के लॉकर में मिला सोना एवं सोने के आभूषणों की कीमत- स्वयं एवं पत्नी 1309800, 15-एसबीआई बैंक लाडनू जिला नागौर में आरोपी स्वयं एवं उसकी पत्नी श्रीमती अंजू जांगिड के संयुक्त स्वामित्व के लॉकर में मिली चांदी एवं चांदी के आभूषणों की कीमत -स्वयं एवं पत्नी 198860, 16-एसबीआई बैंक लाडनू जिला नागौर में आरोपी स्वयं एवं उसकी पत्नी श्रीमती अंजू जांगिड के संयुक्त खाता संख्या 61075686156 का शेष बैलेंस 2023 स्वयं एवं पत्नी 413578, 17-क्षेत्रीय बडौदा ग्रामीण बैंक नयावास सुजानगढ जिला चूरू में श्रीमती अंजू जांगिड के खाता संख्या 409601401319 का शेष बैलेंस 2023 पत्नी 2192922, 18-एसबीआई बैंक सुजानगढ जिला चूरू में आरोपी के स्वयं के खाता संख्या 51095074507 का शेष बैलेंस 2023 स्वयं 7317708, 19-एचडीएफसी बैंक दादाबाडी कोटा में आरोपी के स्वयं के नाम खाता संख्या 5010060146232 का शेष बैलेंस 2023 स्वयं 128325, 20-श्री महेश जांगिड के नाम ग्राम गनोडा तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान में स्थित भूखण्ड/कृषि भूमि की कीमत 2013 स्वयं 351770 कुल योग 17456841 आरोपी को बैंक पीरियड (31.10.1996 से 17.03.2023) में मिले वेतन भत्तों से कटौती के बाद प्राप्त नेट आय 1,12,72,485 एवं उनकी पत्नी श्रीमती अंजू जांगिड को वेतन भत्तों से कटौती के बाद प्राप्त नेट आय 57,63,139 पाई गई है। आरोपी को विभिन्न बीमा पॉलीसियों की मैच्योरिटी पर करीब 4,95,175 की राशि प्राप्त हुई एवं बैंक खातों में जमा राशि से ब्याज के रूप में 1635207 रुपये प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार आरोपी के परिवार की कुल आय 19166006 रुपये पाई गई हैं। जिसका विवरण निम्नांकित है- 1-श्री महेश जांगिड को बैंक पीरियड में मिले वेतन एवं भत्तों से प्राप्त आय (कटौती के बाद) (वर्ष 31.10.1996 से 17.03.2023 तक) स्वयं 11272485, 2-श्रीमती अंजू जांगिड को आरोपी के बैंक पीरियड में मिले वेतन एवं भत्तों से प्राप्त आय (कटौती के बाद) (वर्ष 2006 से 17.03.2023 तक) पत्नी 5763139, 3-श्री महेश जांगिड के नाम एलआईसी संख्या 192176421 से बैंक पीरियड के दौरान प्राप्त राशि स्वयं 269273, 4-श्री इशान जांगिड के नाम एलआईसी संख्या 501558988 से बैंक पीरियड के दौरान प्राप्त राशि पुत्र 20000, 5-श्री महेश जांगिड के नाम एलआईसी संख्या 192176381 से बैंक पीरियड के दौरान प्राप्त राशि स्वयं 205902, 6-आरोपी एवं उसकी पत्नी के चार बैंक खातों में ब्याज के रूप में प्राप्त राशि 1635207 कुल 19166006 आरोपी के असत्यापनीय व्यय की राशि वेतन भत्तों से प्राप्त कुल आय (इन्कमटेक्स घटाने के बाद) 1,80,28,826 का 1/3 हिस्सा 60,09,608 पाई गई है। आरोपी द्वारा बच्चों की शिक्षा पर अनुमानित व्यय 7,38,870 किया गया है। आरोपी एवं उसकी पत्नी द्वारा जयपुर स्थित फ्लेट में फर्नीचर के काम पर 7 लाख तथा बैंक एफडी व जीवन बीमा में निवेश पर 966458 खर्च किये हैं एवं कोटा में किराये के मकान में रहने के लिए मकान किराया एवं सौसायटी चार्ज के रूप में कुल 235980 रुपये खर्च किये गए हैं तथा आरोपी ने उसके वाहनों के संधारण पर करीब 250000 रुपये खर्च करके बैंक अवधि में कुल 8850916 रुपये खर्च किये हैं। जिसका विवरण निम्नांकित है 1-श्री महेश जांगिड को बैंक अवधि के दौरान कुल 21109952 रुपये ग्रास वेतन भत्तों के रूप में प्राप्त हुआ है जिसमें से 3081126 इन्कम टेक्स कटौती करने के पश्चात शेष राशि 18028826 का एक तिहाई 6009608 आरोपी का असत्यापनीय व्यय बनना पाया गया है। 1996 से 2023 स्वयं 6009608, 2-बच्चों (एक लड़का व एक लड़की)की शिक्षा पर खर्च 2008-2023 स्वयं 738870, 3-फ्लेट संख्या एफ 1 एफ प्रेमपुष्प अपार्टमेन्ट जयपुर में करवाए गए फर्नीचर पर किया गया अनुमानित खर्च 2022 स्वयं 700000, 4-एचडीएफसी बैंक दादाबाडी कोटा में आरोपी की स्वयं के नाम एफडी खाता संख्या 50300757915276 फरवरी 2023 स्वयं 150000, 5-एचडीएफसी बैंक दादाबाडी कोटा में आरोपी की स्वयं के नाम एफडी खाता संख्या 5030076881204 मार्च 2023 स्वयं 50000, 6-श्रीमती अंजू जांगिड के नाम एलआईसी संख्या 501465574 में बैंक पीरियड के दौरान जमा करवाई गई राशि 2004 से 2023 पत्नी 142120, 7-श्रीमती अंजू जांगिड के नाम एलआईसी संख्या 502852025 में बैंक पीरियड के दौरान जमा करवाई गई राशि 2009 से 2023 पत्नी 240000, 8-श्री महेश जांगिड के नाम एलआईसी संख्या 192176421 से बैंक पीरियड के दौरान जमा करवाई गई राशि स्वयं 98400, 9-श्री महेश जांगिड के नाम एलआईसी संख्या 192176381 से बैंक पीरियड के दौरान जमा करवाई गई राशि स्वयं

104880, 10-श्री इशान जांगिड के नाम एलआईसी संख्या 501558988 में चैक पीरियड के दौरान जमा करवाई गई राशि 2001 से 2023 पुत्र 131058, 11-आरोपी एवं उसकी पत्नी के नाम रजिस्टर्ड वाहनों के संधारण पर किया गया अनुमानित खर्च स्वयं एवं पत्नी 250000, 12-आरोपी द्वारा किराये के फ्लेट 401, प्लॉट नं.11 राजीवगांधी नगर कोटा में रहने की एवज में किराये तथा सोसाईटी चार्ज के रूप में व्यय की गई राशि 2021 से 2023 स्वयं 235980 कुल 8850916 इस प्रकार आरोपी श्री महेश जांगिड के परिवार की परिसम्पत्तियों की कुल कीमत 17456841 व उसके द्वारा किए गए कुल खर्चों की राशि 8850916 को जोड़ कर दोनों का योग 2,63,07,757 पाया गया है। जो कि उसके स्वयं के एवं उनकी पत्नी के वैध स्रोतों से प्राप्त आय राशि 19166006 से 7141751/- रुपये (37.26 प्रतिशत) अधिक है। इस प्रकार आरोपी महेश जांगिड पुत्र श्री रामेश्वर जाति जांगिड उम्र 53 साल निवासी 1/2 पट्टी काली जी का चौक, ग्राम लाडनू जिला नागौर, हाल अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र कोटा द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग कर अपनी वैध आय से कहीं अधिक की परिसम्पत्तियाँ अर्जित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। आरोपी महेश जांगिड, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विरुद्ध जुर्म धारा-13 (1)(बी), 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 (यथासंशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने से आरोपी महेश जांगिड पुत्र श्री रामेश्वर जाति जांगिड उम्र 53 साल निवासी 1/2 पट्टी काली जी का चौक, ग्राम लाडनू जिला नागौर, हाल अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र कोटा के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है। भवदीय (देशराज) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री देशराज पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से आरोपी श्री महेश जांगिड पुत्र श्री रामेश्वर जाति जांगिड उम्र 53 साल निवासी 1/2 पट्टी काली जी का चौक, ग्राम लाडनू जिला नागौर, हाल अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र कोटा के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1)(बी), 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 (यथासंशोधित 2018) के में पंजिवद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मुकुल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. कोटा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 72 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1123-26 दिनांक 05-08-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:- 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

MUKUL SHARMA

Rank

अपर पुलिस अधीक्षक

(जाँच अधिकारी का नाम):

(पद):

No(सं.):

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad
Sharma
Location: Rajasthan, IN
Date: 06/06/2025 13:09:39

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	16/12/1970				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)